

12-12-2022

**FORM NO.111**

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)**


किरणसिंह पुत्र उमरावसिंह वगै०

बनाम

हरिसिंह पुत्र कल्याणसिंह वगै०

किरम मुकदमा:- प्रार्थना पत्र कैवियट

मुकदमा नम्बर:- 106/2022

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तालीम में<br>जारी हुये |
|----------------|---|---|
| 12.12.2022     | <p>प्रार्थी वकील श्री अनिल यादव एड० के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 21.08.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फँसल किया जाता है। पत्रावली फँसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p><br/>दिलीप सिंह<br/>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)<br/>श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> |   |

